

दिनांक:—30.11.2017

प्रार्थी के वकील उप0। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र तत्कालीन एस डी ओ नगर के खिलाफ पेश किया गया था। चूंकि तत्कालीन एस डी ओ नगर का ट्रान्सफर हो चुका है। इसलिए यह प्रार्थना-पत्र प्रभावहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

सत्यमेव जयते

(डा.एन.के.गुप्ता)
जिला कलेक्टर,
भरतपुर

Web Copy - Not Official